



## किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की भूमिका

### चर्चा में क्यों?

- किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मनरेगा में किस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन किये जाने चाहिये?

### प्रमुख बिंदु

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रतियोगितात्मक सरकार का दृष्टिकोण पछिली सरकार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण तरफ से अलग है। इस सरकार के द्वारा "सामुदायिक" संपत्तियों के निर्माण की अपेक्षा "व्यक्तिगत घरेलू" संपत्तियों के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को स्वेच्छा से मांगने पर 100 दिनों के अकुशल रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई है।
- दो वर्षों (2012-13 और 2013-14) में, 'व्यक्तिगत संपत्तियों का निर्माण' मनरेगा के तहत किये गए कार्यों की कुल संख्या का पाँचवाँ हिस्सा था। इसके तहत निर्मित संपत्तियों के कुल मूल्य के संबंध में यह हिस्सा 7 प्रतिशत से भी कम था।
- लेकिन वर्तमान सरकार के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान व्यक्तिगत संपत्तियों का हिस्सा 38 प्रतिशत और मूल्य के मामले में 15 प्रतिशत औसतन रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल परसंपत्तियों (पूरण, चालू और स्वीकृत) का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा व्यक्तिगत था और लागत के मामले में इसकी हिस्सेदारी केवल 18 प्रतिशत ही रही है।
- सामुदायिक संपत्ति बड़ी आबादी को कवर करती है और इसलिये इनके निर्माण में अधिक धन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत संपत्तियों के साथ ऐसा नहीं है- मवेशियों के लिये बनाए जाने वाले शेड की लागत सरिफ 10,000-15,000 रुपये है, जबकि खेतों में तालाबों या खोदे जाने वाले कुओं को लगभग 2 लाख रुपए में बनाया जा सकता है।
- उपरोक्त आँकड़े, मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवार के लिये परसंपत्ति सृजन को बढ़ावा देते हैं। यह दृष्टिकोण पछिली सरकार के दृष्टिकोण के विपरीत है जो कि मुख्य रूप से सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित थी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी, 2016 को बरेली (उत्तर प्रदेश) में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक लक्ष्य बनाया गया था।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि में व्यक्तिगत परसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- मनरेगा अधिनियम की अनुसूची- I में ए, बी, सी और डी चार श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया। चार श्रेणियों में से केवल श्रेणी बी "व्यक्तिगत संपत्ति" से संबंधित है।
- इसके अलावा अनुसूची का पैरा 5, कमजोर श्रेणी के परिवारों की पहचान करता है, जिनकी भूमि या घरों में ऐसी व्यक्तिगत परसंपत्तियों का निर्माण कार्य किया जा सकता है।
- इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति, खानाबदोश और वंचित जनजातियाँ, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग मुखिया वाले परिवारों, तथा भूमि सुधारों के लाभार्थियों, इंद्रि/प्रधानमंत्री आवास योजना और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों इत्यादिको शामिल किया गया है। इनके बाद "छोटे और सीमांत किसान" भी इस सूची में शामिल होने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में भूमिरहित कृषक परिवारों को भी शामिल किया गया है।
- एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि मनरेगा जैसी योजना का लाभ विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों एवं केवल नज्दी नविस कृषक परिवारों को व्यक्तिगत स्तर पर घरेलू संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से अधिक प्राप्त हुआ है।
- 2016-17 के कृषि वर्ष के दौरान किये गए एक अध्ययन में देश के छह जिलों उत्तर प्रदेश (मरिजापुर और श्रावस्ती), राजस्थान (सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा) और तमिलनाडु (कृष्णागरि एवं कुड्डालोर) के 240 परिवारों को कवर किया गया।
- नमूने में छोटे और सीमांत किसानों (92 प्रतिशत) तथा भूमिहीन परिवारों (8 प्रतिशत) को शामिल किया गया।
- सवाई माधोपुर में औसत लाभार्थी परिवार के कुल वार्षिक राजस्व में 35.24 प्रतिशत योगदान मनरेगा के तहत बनाई गई व्यक्तिगत संपत्तियों का पाया गया। वहीं यह बांसवाड़ा में 24.47 प्रतिशत, श्रावस्ती में 61.21 प्रतिशत, मरिजापुर में 22.27 प्रतिशत, कृष्णागरि में 37.01 प्रतिशत और कुड्डालोर में 26.51 प्रतिशत था।
- कृषि-मौसम संबंधी परिस्थितियों के आधार पर बनाई गई संपत्तियों के प्रकार व्यक्तिगत स्तर पर अलग-अलग हो सकते हैं। सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा (शुष्क भूमि) और मरिजापुर जिलों में व्यक्तिगत संपत्तियों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर खेतों में तालाबों, कुओं और अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जाना शामिल था, यहाँ पर पशुओं के शेड का निर्माण नहीं किया गया।
- जबकि श्रावस्ती में सचिाई के लिये अलग-अलग बोर कुओं (bore wells) का निर्माण करने के लिये काम किया गया।
- कृष्णागरि में लाभार्थियों के लिये पशु शेड बनाए गए हैं, जबकि तृतीय जिले कुड्डालोर में बनाई गई सबसे आम संपत्ति मछली के लिये तलाब थी।

- मनरेगा के माध्यम से व्यक्तिगत परसिंपत्तियों के सृजन का सबसे बड़ा प्रभाव फसली भूमि में वृद्धि होना रहा है। इसके अंतर्गत भूमि को समतल करना, भूमि कटाव को रोकना और बंजर भूमि के विकास आर्दा कार्यों के द्वारा औसतन 0.53 एकड़ और खेत में खोदे गए तालाब या कीचड़/क्षेत्रीय बांध से औसतन 0.41 एकड़ फसली क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिली।
- सचिाई सुवधाओं के विकास से कृषि पैदावार में वृद्धि विशेष रूप से सब्जियों, तलिन और कपास की खेती में हुई है।
- मछली के तालाबों और पशु शेडों के नरिमाण से लाभार्थी परिवारों की सकल आय में काफी वृद्धि हुई है।
- परसिंपत्त-वार कथि गए लागत-लाभ वशिलेषण अनुपात (cost-benefit analysis) में मछली के तालाबों के लथि अनुपात 0.61, बागवानी के लथि 0.53 (फलों के बगीचे, फूल, पौधे, आर्दा), सचिाई (0.34) और पशुधन आशर्यों के लथि अनुपात (0.32) का पता चलता है। भूमि विकास के लथि अनुपात केवल 0.15 था, हालाँकि यह सचिाई उपलब्धता के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- उपर्युक्त परणामों के अनुसार वकिंदरीकृत उत्पादन केंदरति दृषटकिण (decentralised production-centric approach) के माध्यम से मनरेगा के तहत व्यक्तिगत परसिंपत्तियों का नरिमाण करके किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त कथिा जा सकता है।
- छोटे और सीमांत किसानों की भूमि पर भूमि विकास कार्यों और सचिाई संपत्तियों के नरिमाण द्वारा वास्तव में फसली क्षेत्र में वृद्धि, उच्च पैदावार और फसल वविधिकरण जैसे तीन लाभ प्राप्त कथिा जा सकते हैं।
- इस कार्यक्रम में भूमिहीन कृषि परिवारों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहथि। कार्यान्वयन एजेंसथिाँ, सकरथि चयन के जरथि भूमिहीन कृषि परिवारों को भी शामिल कर सकती हैं, जैसा कि कृषिणागरि जिले में कथिा गया था।
- सभी व्यक्तिगत संपत्तियों को कृषि भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्तिगत संपत्तियों का नरिमाण व्यक्तिगत घरों पर भी कथिा जा सकता है। जैसे मवेशियों के शेड या सूअर/बकरी के आशर्य।
- इसके अलावा भूमिहीन परिवारों को सामुदायिक भूमि पर भी परसिंपत्तियों प्रदान की जा सकती हैं।
- किसानों की आय के दोगुना करने के लथि भूमि रहति ग्रामीण परिवारों (लगभग 56.4 प्रतिशत) को भी योजना के अंतर्गत शामिल करना आवश्यक है।

### महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम (मनरेगा)

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई, जबकि यह अधनियम संसद द्वारा सतिम्बर 2005 में ही पारति हो गया था।
- 2 अक्टूबर, 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम (मनरेगा) कर दिया गया।
- यह कानून कसिी वतितीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल श्रम के लथि तैयार हों, 100 दिनों के रोजगार (सूखा प्रभावति क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार) की गारंटी प्रदान करता है।
- इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम-से-कम 33 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहथि।
- इस योजना का करथिान्वन ग्राम पंचायत द्वारा कथिा जाता है तथा लाभ प्राप्तकर्त्ता इकाई परिवार है।
- यह योजना रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरु की गई है, अतः यह अन्य योजनाओं से भन्नि है।
- रोजगार पाने के लथि आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के नवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होगा यदि कार्य इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध हो तो उसे परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा।
- यदि इस समयसीमा के भीतर रोजगार नहीं प्रदान कथिा गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।
- मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधति क्षेत्रों जैसे- जल संभरण, नहरों का नरिमाण, गाँवों में सड़क नरिमाण, बांध नरिमाण, सामुदायिक भवन नरिमाण इत्यादि में रोजगार प्रदान कथिा जाता है।